<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

अपील/आरटीआई/101/2019

दिलीप सिनसिनवार, शॉप नं0 6, शॉपिंग सेन्टर, फ्लोरसैंट स्कूल के पास, सैक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर।

<u>बनाम</u>

प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>आदेश</u> **दिनांक 16.10.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री दिलीप सिनसिनवार, शॉप नं0 6, शॉपिंग सेन्टर, फ्लोरसैंट स्कूल के पास, सैक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 12.07.2019 को द्वारा प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/813 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/8870 दिनांक 03.10.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/8870 दिनांक 03.10.2019 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी के प्रा0पत्र के बिंदु सं0 1 की सूचना उपलब्ध करा दी गई है और बिंदु सं0 2,3 व 4 की सूचना हेतु प्रार्थी को कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु जरिये पत्र क्रमांक/8015 दिनांक 03.09.2019 से सूचित कर दिया गया है। यह तथ्य जबाव के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र क्रमांक/8015 दिनांक 03.09.2019 से स्पष्ट है। अतः अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह लोक सूचना अधिकारी के उक्त पत्र के संदर्भ में किसी भी कार्य दिवस में रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख) अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर